न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 07 / 2018

प्रार्थी :
कोजाराम पुत्र अजाराम जाति
मेघवाल निवासी सोवनिया तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. दुर्गाराम पुत्र दयाराम
2. सागुराम पुत्र रामदीन
जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम सोवनिया तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर ।
3. प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ।
4. भूमिधारी जरिये, तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से
श्री ओमप्रकाश कछवाह अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.07.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थी की खातेदारी की एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम सोवनिया पटवार क्षेत्र सोवनिया तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 68 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता सं. नया 48 व पुराना 31 पर इन्द्राजसुदा है । अप्रार्थीगण के खातेदारी के कब्जे व काश्त की भूमि प्रार्थी के खेत व राजकीय कटाणी मार्ग के बीच में खसर नम्बर 79/3 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा व खसरानम्बर 64/4 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं. 53 नया पर इन्द्राज है । प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 68 में आने जाने के लिए निकटतम व सुलभतम रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत के पूर्वी माठ से होता हुआ राजस्व रेकर्ड में दर्ज कटाणी मार्ग तक जाता है व प्रार्थी द्वारा इसी रास्ते से जाया जा सकता है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से आने जाने के लिए रास्ता दिये जाने हेतु परस्पर सहमति बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया लेकिन अप्रार्थीगण नही माने । संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये हुए रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत खसरा नम्बर 68 में

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है । प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु काम में आने वाली अप्रार्थीगण की भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है । उक्त निकटतम रास्ता यदि प्रार्थी को नही दिलाया जाता है तो प्रार्थी अपने खेत में कृषि कार्य नही कर पायेगा व अपने खातेदारी हक हकूको का उपयोग नही कर पायेगा । प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है व नजदीकी रास्ता जो प्रार्थी द्वारा बताया गया है वही है उसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से अंतिम बार दिनांक 04.01.2017 को परस्पर सहमति बनाने हेतु प्रयास किया गया नही मानने पर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास नही है । प्रार्थी द्वारा अनुतोष में चाहे गये रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थनापत्र का भाग है । अप्रार्थी सं. तीन के पास भूमि रहन होने प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है जिनसे कोई अलग से अनूतोष नही चाहा गया है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से व सुविधाजनक तथा केवल मात्र एक रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 64/4 व 79/3 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुए कटाणी रास्ते तक होने से प्रार्थी संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता घोषित करवाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाये जाने का अनूतोष पाने का अधिकारी है जो अनूतोष प्रदान किया जावें व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अजा फरमावें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण सं. 1, 5, 6, 7 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया , अप्रार्थीगण सं. 2, 3, 4 के सम्मन बाद तामील होने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने अंकन किया कि ग्राम सोवनिया की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां आयी हुई है । अप्रार्थी सं. दो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 64/4 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई हुई है । अप्रार्थी सं. दो के खेत

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 64/4 पर आने जाने हेतु कटाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही है । अप्रार्थी सं. दो अपने खेत खसरा नम्बर 64/4 के उत्तर में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 64/4 के उत्तर में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 64/4 के उत्तर में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 68 में से होकर आगे सरकारी भूमि खसरा नम्बर 70 में स्थित प्रथागत चलित कदीमी रास्तो से होकर आते जाते रहे है । कदीमी रास्ता का अन्य ग्रामवासी भी अपने अपने खेतो में आने जाने हेतु उपयोग लेते आये है । अप्रार्थी सं. एक की खातेदारी भूमि तरमीमसुदा भी नही है । अप्रार्थी एक की भूमि में से कभी भी रास्ता विद्यमान नही रहा है । प्रार्थी व अप्रार्थी सं. दो सरकारी भूमि खसरा नम्बर 70 में चलित कदीमी रास्ता से होकर अपने अपने खेतो में आते जाते रहे है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 68 के चिपते ही उत्तरी पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 70 राजकीय भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 70 में ग्रामवासियो के खेतो में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता पीढियो से विद्यमान है । उक्त कदीमी रास्ता से होकर प्रार्थी भी अपने खेत खसरा नम्बर 68 पर पीढियो से आता जाता रहा है । प्रार्थी ने उक्त पद में सरासर गलत तथ्य अंकित किये है । खसरा नम्बर 68 पर आने जाने हेतु सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता खसरा नम्बर 70 में स्थित कदमी रास्ता है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खेतो में से नया रास्ता बनाने के लिए उक्त असद्भाविक प्रार्थना पत्र पेश किया है । अप्रार्थीगण के खेतो में से होकर प्रार्थी कभी भी अपने खेत में नही गया है । अप्रार्थीगण के खेतो के चारो तरफ पत्थरों की दीवारें पुरानी बनी हुई है । प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि:– प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से आने जाने के लिए रास्ता दिये जाने हेतु परस्पर सहमति बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन अप्रार्थीगण नही माने। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी अप्रार्थीगण से कभी भी नही मिला है । प्रार्थी ग्राम पीपाड़ शहर में निवास करता है । प्रार्थी ने उक्त पद में सरासर बनावटी तथ्य अंकित किये है । अप्रार्थी सं. एक की भूमि तरमीम ही नही है । प्रार्थी ने सरासर गलत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 68 पर आने जाने हेतु पीढ़ियो से कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 70 में स्थित है । जो ग्राम सोंवनिया की आबादी तक चलता आया है । अप्रार्थी सं. 2 खसरा नम्बर 70 में चलित रास्ते से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 68 में से होकर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अपने खेत खसरा नम्बर 64/4 पर आता जाता है । उक्त रास्ते के अलावा अप्रार्थी सं. 2 के खेत खसरा नम्बर 64/4 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमानं नही है । खसरा नम्बर 64/4 व खसरानम्बर 79/3 में कभी भी रास्ता विद्यमान नही रहा है । मूल खसरा नम्बर 79 में अप्रार्थी सं. एक की भूमि तरमीम की हुई नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारहीन बनावटी तथ्यो पर पेश किया हुआ होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावें । इसी प्रकार भू. अभिलेख निरीक्षक बोरून्दा ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि कॉउन्टर क्लेम द्वारा खसरा नम्बर 64/4 में पहुचने हेतु खसरा नम्बर 59, 70/2 च 68 में से मांग की गयी है जो खसरा नम्बर 232 गै.मु. भाकर से बाला, उबड़ खाबड़ का बहुत लम्बा रास्ता है । अतः खसरा नम्बर 68 में आने जाने हेतु सबसे नजदीक व सुगम प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 79/3 के पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 64 में प्रवेश कर इनके पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 68 में प्रवेश करेगा । अप्रार्थी द्वारा काउन्टर क्लेम मे दर्शाया गया नजरी रास्ता मौके पर अस्तित्व में नही है । खसरा नम्बर 79/3 व 64/4 में प्रस्तावित रास्ता की चौड़ाई 2 गट्टा होगी । प्रस्तावित रास्तो का क्षैत्रफल व खसरा नम्बर निम्न अनुसार दर्शाये हैं :-

खसरा नम्बर	बिन्दु	नाप (गट्टा में) (लम्बाई X चौड़ाई)	रकबा (बीघा, बिस्वा
79/3	A से B	210 X 2	420 वर्ग गट्टा (01 बीघा 01 बिस्वा)
64/4	B से C	20 X 2	40 वर्ग गट्टा (02 बिस्वा)

ग्राम सोवनिया की वर्तमान DLC दर –

असिचिंत (सड़क से दूर) 101190/– रूपये प्रति हैक्टयर है । खसरा नम्बर 79/3 64/4 राजस्व रेकर्ड व मौका अनुसार असिचिंत है ।

भूमि की कीमत –

खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)	रकबा (हैक्टयर)	दर प्रति हैक्टयर	कीमत
79/3	01.01	0.1699	101190/–	17192/– रू.
64/4	0.02	0.0162	101190/–	1638/– रू.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, जबाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम सोंवनिया के खसरा नम्बर 68 में आने जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के खेत ख.न. 79/3, 64/4 से सबसे नजदीकी रास्ता हैं जो दिया जाना प्रस्तावित किया है जो न्यायोचित है। ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत ख.न. 68 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 79/3, 64/4 के पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये ख.न. 79/3 में से मार्क A B 01.01 बीघा यानि 0.1699 हैक्टयर रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम सोंवनिया के ख.न. 79/3 में से 01.01 बीघा यानि 0.1699 हैक्टयर भूमि की मालियत अनुसार प्रति हैक्टयर कीमत 101190/– रू प्रति हैक्टयर (असिचित) है। रास्ते के काम आई भूमि 01.01 बीघा यानि 0.1699 हैक्टयर की कीमत 17192/– रू बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगनी कीमत 34384/– रू बनती है। इसी प्रकार खेत ख.न. 64/4, के पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये मार्क BC 0.02 बीघा यानि 0.0162 हैक्टयर रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम सोंवनिया के ख.न. 64/4 में से 0.02 बीघा यानि 0.0162 हैक्टयर भूमि की मालियत अनुसार प्रति हैक्टयर कीमत 101190/– रू प्रति हैक्टयर (असिचित) है। रास्ते के काम आई भूमि 0.02 बीघा यानि 0.0162 हैक्टयर की कीमत 1638/– रू बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगनी कीमत 3276/– रू बनती है। मौका कश्मिनर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से ख.न. 79/3 में 34384/– रू व ख.न. 64/4 में 3276/– रू का चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner